जूनियर इंजीनियर (प्राविधिक) सेवा नियमावली - 1968

उत्तर प्रदेश सरकार

सार्वजनिक निर्माण (ख) विभाग

संख्या - 1203 ईबीआर/23 पी.डब्ल.डी. 147 ईबीआर/52

लखनऊ : दिनांक 21.6.1968

विज्ञप्ति

विविध

भारत के संविधान के अनुच्छेद 306 के प्रतिवाद खण्ड के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके, और प्रस्तुत विषय पर विद्यमान सभी नियमों तथा आदेशों का अतिक्रमण करके, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, सार्वजनिक निर्माण विभाग संगणक (कम्प्यूटर) सेवा में पदों पर भर्ती, और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बताते हैं :

सार्वजनिक निर्माण विभाग संगणक सेवा नियमावली, 1968

भाग - 1 - सामान्य

1. (1) यह नियमावली सार्वजनिक निर्माण विभाग संगणक सेवा नियमावली, 1968 कहलायेगी।

(2) यह सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2. सार्वजनिक निर्माण विभाग संगणक सेवा एक अधीनस्थ (अराजपत्रित) सेवा है।

3. जब तक कि विषय या प्रसंग से कोई बात प्रतिकुल न हो, इस नियमावली में;

(क) 'मुख्य अभियंता' का तात्पर्य मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश से है।

(ख) 'भारत का नागरिक' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो भारत के संविधान के भाग-2 के अधीन भारत का नागरिक हो अथवा समझा जाता है।

(ग) 'आयोग' का तात्पर्य लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश से है।

(घ) 'संविधान' का तात्पर्य भारत के संविधान से है,

(ङ) 'विभाग' का तात्पर्य सार्वजनिक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश से है,

(च) 'राज्यपाल' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है,

(छ) 'सेवा का सदस्य' का तात्पर्य इस नियमावली या इस नियमावली से प्रचलित होने के पूर्ण प्रवृत्त नियमों के उपबन्धों के अधीन सेवा के संवर्ग में किसी पद पर मौलिक रूप में नियुक्त व्यक्ति से है।

(ज) सेवा का तात्पर्य सार्वजनिक निर्माण विभाग संगणक सेवा से है और राज्य सरकार का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है।

(2) भाग - 2 संवर्ग

(1) सेवा के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी राज्यपाल द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाये।

(2) सेवा के पदों की स्थायी संख्या जब तक कि उप नियम के अधीन उसमें परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें, 29 होगी।

प्रतिबन्ध यह है कि :

(क) मुख्य अभियंता किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है अथवा/तथा राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं और ऐसा किये जाने पर कोई व्यक्ति प्रतिकार या हकदार होगा, और राज्यपाल समय-समय पर ऐसे अतिरित स्थायी या अस्थायी पद सूचित कर सकते हैं जो आवश्यक मालूम पड़े।

भाग - 3 - भर्ती

5. सेवा में भर्ती :

(1) भाग-5 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा, या

(2) इस नियमावली के भाग-6 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पदोन्नति द्वारा की जायेगी।

प्रतिबन्ध यह है कि मुख्य अभियंता, स्रोत का निश्चय करेंगे जिससे भर्ती ऐसे प्रकार से की जायेगी कि यथासम्भव, सेवा के संवर्ग के 20 प्रतिशत पद ऊपर। में निर्दिष्ट स्रोत से भरे जायें।

6. अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त आरक्षण के आदेशों के अनुसार होगा।

टिप्पणी : इस नियमावली के प्रस्थान के समय प्रवृत्त आदेशों की एक प्रतिलिपि इस नियमावली के परिशिष्ट (क) में दी गयी है।

भाग - 4 - अर्हतायें

7. सेवा में भर्ती के लिए अभ्यर्थी का

(1) भारत का नागरिक या सिक्किम की प्रजा, या

(2) तिब्बती जो भारत में स्थायी रूप से निवास करने के उद्देश्य से 1 जनवरी, 1962 के पूर्व आया हो, या

(3) भारतीय उद्भव का व्यक्ति जिसने भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय में पाकिस्तान से प्रव्रजन किया हो, होना आवश्यक है।

प्रतिबन्ध यह है कि उपर्युक्त श्रेणी (2) और (3) के अभ्यर्थी के लिए ऐसा व्यक्ति होना आवश्यक है जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो,

प्रतिबन्ध यह भी है कि श्रेणी (2) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जोगी कि वह पुलिस उप-महानिरीक्षक, गुप्तचर शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले,

प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (2) का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र उसकी नियुक्ति के दिनांक से केवल एक वर्ष के लिए वैध होगा जिसके पश्चात वह सेवा में तब ही रखा जा सकता है जब कि वह भारत का नागरिक हो जाय,

प्रतिबन्ध यह भी है कि उपर्युक्त श्रेणी (2) के किसी तिब्बती की नियुक्ति का राज्यपाल से भिन्न किसी प्राधिकारी द्वारा अन्तिम रूप से अनुमोदन करने के पहले राज्य सरकार का विशिष्ट अनुमोदन सभी मामलों में लिया जायेगा।

8. सेवा में सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस वर्ष की पहली जनवरी को जिसमें चयन किया जाय, 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, किन्तु 25 वर्ष की आयु पूरी न की हो।

टिप्पणी : 1. अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों की दशा में आयु की अधिकतम सीमा पाँच वर्ष अधिक होगी।

2. मुख्य अभियंता, आयोग के परामर्श से, अभ्यर्थियों के आयु की अधिकतम सीमा शिथिल कर सकता है यदि न्यायोचित व्यवहार या लोक हित में ऐसा करना आवश्यक समझा जाय।

(1) सेवा में सीधी भर्ती के लिय यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी इस नियमावली से परिशिष्ट में उल्लिखित कम से कोई